संख्या-79/2017/2455 ई-2/तेरह-2017-46/2017टीसी

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 29 दिसम्बर,2017

विषय:-मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि0 11-07-2017 तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 28-8-2017 के दृष्टिगत म्यूनिसपल एरियाज (नगर निकाय क्षेत्रों) में आबकारी दुकानों का संचालन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-231/दस-लाइसेंस-303/खण्ड-6/राष्ट्रीय राजमार्ग/ 2017-18, दिनांक 29 सितम्बर,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें विशेष अनुज्ञा याचिका(सिविल) संख्या-10243/2017 में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाक 11-7-2017 तथा रिट याचिका संख्या-6234(एमबी)/2017 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-8-2017 के दृष्टिगत नगर निकायों में आबकारी अनुज्ञापन व्यवस्थित करने में अब किसी प्रतिबंध के न होने के कारण नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित पूर्व में व्यवस्थित तथा अद्यतन असंचालित दुकानों को संचालित किये जाने की कार्यवाही को मध्य सत्र में हुआ व्यवस्थापन समझे जाने एवं अवशेष राशियों को माह अक्टूबर,2017 में जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त विशिष्ट जोन मेरठ को छोड़कर, प्रदेश के समस्त म्यूनिसपल एरियाज(नगर निकाय क्षेत्रों) में स्थित और पूर्व में व्यवस्थित तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशोपरान्त अद्यतन असंचालित समस्त दुकानों को देशी मदिरा की दुकान के लिये अवशेष अवधि हेतु एम0जी0क्यू0 निर्धारित करते हुये सम्बन्धित बेसिक लाइसेंस फीस एवं विदेशी मदिरा, माडल शाप तथा बीयर की दुकान के लिये अवशेष अवधि की सम्बन्धित धनराशियों को जमा/समायोजित कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीया,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in